उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा विभाग
संख्याः 450/I/2013-01(3)-20/2006
देहरादूनः दिनांकः 15 मार्च, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (केन्द्रीय अधिनियम सं0–52, वर्ष 2001) की धारा 57 सपठित धारा 16 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली, 2010 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड ऊर्जा संरक्षण निधि (संशोधन) नियमावली 2013

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ऊर्जा संरक्षण निधि (संशोधन) नियमावली 2013 है।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

उत्तराखण्ड ऊर्जा संरक्षण निधि निमयमावली, 2010 के नियम 4 के उपनियम (2) के खण्ड (पाँच) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिए जायेंगे; अर्थात् :–

(छः) विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा बचत की सम्भावनाओं के चिन्हीकरण तथा आंकलन हेतु सर्वेक्षण तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करना;

(सात) विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण हेतु तैयार की गई रिपोर्ट्स के कियान्वयन हेतु सहायता तथा ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरों, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड हेतु स्वीकृत परियोजनाओं हेतु अंशदान प्रदान करना;

(आठ) भारत तथा अन्य देशों में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही उत्तम उपयोगी नीतियों के आदान–प्रदान हेतु अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम इत्यादि हेतु आवश्यक व्यवस्था करना;

(नौ) ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में गवेषणा तथा विकास की अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करना;

(दस) ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबन्धन के लिए परीक्षण, प्रमाणन तथा

क्रमशः.....2

सत्यापन के लिए आवश्यक उपस्करों तथा स्रोतों का विकास करना;

(ग्यारह) उपस्कर, युक्ति तथा प्रणाली के लिए ऊर्जा दक्षता प्रक्रिया के उपयोग को प्रोत्साहित करना;

(बारह) उत्तराखण्ड राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाओं को आवश्यक राज्यांश हेतु अनुदान की पूर्ति करना;

(तेरह) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के सभी आनुषंगिक तथा प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति करना;

(चौदह) उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा ऊर्जा संरक्षण प्रकोष्ठ के लिए किये जाने वाले व्ययों की पूर्ति;

(पंद्रह) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रचार–प्रसार, स्थापना एवं संचालन के लिए राज्य की नीति अनुसार किये जाने वाले व्ययों एवं इससे सम्बन्धित आनुषंगिक प्रयोजनों हेतु किए जाने वाले व्ययों की पूर्ति।

(सोलह) ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशियेन्सी, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर ऊर्जा संरक्षण एवम् दक्षता सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु।

आज्ञा से,

(डा0 एस0 एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्याः–450/ I/2013–01(3)–20/2006, तद्दिनांक। 15|03|2013

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपनिदेशक, राजकीय फोटो लीथो प्रेस, रूड़की को इस कथन के साथ कि इसे शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशन कर 100 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराई जाय।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. समस्त प्रमख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त कुँमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0, देहरादून।
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0ज0वि0नि0लि0, देहरादून।
10. प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन निगम लि0 देहरादून।
11. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
12. निदेशक, उरेडा देहरादून।
13. विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"The Constitution of India"** the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.450/I/2013-01(3)-20/2006 Dehradun: Dated 15 March, 2013 for general information.

Govt. of Uttarakhand
Energy Department
No.450/I/2013-01(3)-20/2006
Dehradun: Dated: 15 March, 2013

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 16 read with section 57 of the Energy Conservation Act, 2001 (Central Act No. 52 of 2001), the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Energy Conservation Fund Rules, 2010:-

The Uttarakhand Energy Conservation Fund (Amendment) Rules, 2013

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Energy Conservation Fund (Amendment) Rules, 2013.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 4

2. After clause (v) of the Uttarakhand Energy Conservation Fund Rules, 2010, the following clauses shall be inserted; namely :-

(VI) "to conduct surveys, preparation of plans, DPRs and other reports for identification and assessment of energy saving potential in different sectors;

(VII) to support the implementation of various plans/ reports prepared for energy conservation in different sectors and contribution to the projects sanctioned by Bureau of Energy Efficiency (BEE) & Govt. of India;

(VIII) to organize study tours, exposure visits, interactive exchanges for best practices within India and abroad in the field of Energy Conservation;

(IX) to promote research & development in the field of

Contd......2...

Energy Conservation;

(X) to develop necessary equipments and resources for testing certification and verification for consumption, efficiency and management of energy;

(XI) to promote the use of energy process for the equipments, devices & systems;

(XII) to meet the matching grant to the centrally sponsored schemes and schemes of Bureau of Energy Efficiency in the State of Uttarakhand;

(XIII) to meet all the incidental & administrative expenses by the Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (UREDA) for implementation of the provisions of the Energy Conservation act;

(XIV) to meet the expenses by Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (UREDA) on staff for energy conservation cell;

(XV) to incur required all incidental & administrative expenses incurred for promotion, installation and maintenance of renewable energy projects, as per the policy of State Government and all expenses in furtherance of above goals;

(XVI) to implement various programmes as per directions/ instructions issued by Bureau of Energy Efficiency, MoP, GoI from time to time."

By order,

(Dr. S.S. Sandhu)
Principal Secretary